(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 35/2015–2020
दिनांकः 27 सितम्बर, 2022

विषयः– दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना संख्या 34 में यथा उल्लिखित टूटे हुए चावल (एचएस कोड 1006 40 00) की निर्यात अवधि को दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से बढ़ाकर 15 अक्तूबर, 2022 करना।

सा. आ. (अ.): विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा टूटे हुए चावल (एच एस कोड 1006 40 00) की निर्यात अवधि को दिनांक 30 सितम्बर 2022 से बढ़ाकर 15 अक्तूबर 2022 करती है। दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना सं. 34 के साथ पठित दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना संख्या 31 में यथा निहित सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः दिनांक 20.09.2022 की अधिसूचना सं. 34 के साथ पठित दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना संख्या 31 के तहत यथा अनुमत टूटे हुए चावल (आईटीसी एचएस कोड 1006 40 00) की खेपों के निर्यात को 15 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
27.9.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/006/एएम/23/ई–33460 से जारी)